NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : NCRES/75/76/21 Date : 13.5.2021

श्रीमान प्रधान मुख्य इंजीनियर
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– कोरोना–19 के संक्रमण से बचाव हेतु ट्रैकमैन कैटेगिरी में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य कराया जाना।

महोदय,

NCRES को अवगत कराना है कि कोविड–19 का नया वेरियन्ट बेहद घातक एवं संक्रामक है जो कि पूरे देश में वृहद रूप से फैला है, और इसके कारण नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में ईंजीनियरिंग एवं अन्य विभाग के तमाम कर्मचारी कोरोना से ग्रसित है और बड़ी संख्या में ईंजीनियरिंग एवं अन्य विभाग के रेल कर्मचारी तथा उनके परिजन संक्रमण से अपनी जान गवां चुके है।

वर्तमान समय में कोविड–19 के बेहद खतरनाक लहर के बावजूद ईंजी. विभाग में ट्रैकमैन कैटेगिरी अपने दायित्वो का निर्वहन पूर्ण रूप से कर रहा है परन्तु कर्मचारियों में बढ़ रही कोरोना पाजिटिव की दर को देखते हुये यह अत्यन्त आवश्यक है कि DOPT के OM No. 11013/9/2014-Estt.A-III Dt. 3.5.2021 व रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(G)2021/CL-4/3 दिनांक 5.5.2021 के अनुसार ट्रैकमैन कैटेगिरी में 50% उपस्थिति सुनिश्चित कर, कार्य स्थल पर साबुन, पानी, सैनिटाइजर की व्यवस्था कर सोशल डिस्टेंसिग का पालन कराकर कार्य कराया जाय।

रेलवे बोर्ड के निर्देश दिनांक 5.5.2021 का पालन न कराने से ट्रैकमैन कैटेगिरी में बहुत असंतोष है, अतः NCRES का अनुरोध है कि DOPT के निर्देशानुसार कार्यस्थल पर साबुन, पानी, सैनिटाइजर की व्यवस्था व सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराते हुये ट्रैकमैन कैटेगिरी में 50% की उपस्थिति के साथ कार्य कराने के लिये उचित आदेश करने का कष्ट करे।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज